रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई और एक अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टैक्नीकल यूनिवर्सिटी एवं एक अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 653/2014)

सितंबर 25,2014

[जे. चेलामेश्वर और ए. के. सिकरी, न्यायाधिपतिगण]

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 - धाराये 2(एच), 3 और 10(के) - तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की स्थापना और संचालन - का विनियमन - अभिनिर्धारित: तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान एआईसीटीई के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं: कुछ पहलुओं में 1987 अधिनियम के तहत और राज्य के नियामक प्राधिकरण, और कुछ अन्य पहलुओं में राज्य के कानून के तहत या उसके तहत स्थापित विश्वविद्यालय।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 - धाराये 2(एच), 3 और 10(के) - तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान को संबद्धता देने/अस्वीकार करने का अधिकार - पहले याचिकाकर्ता कॉलेज से संबद्धता कम करने पर प्रतिवादी - विश्वविद्यालय की आपत्तियां - को चुनौती - अभिनिर्धारित किया गया : प्रत्येक आपत्ति स्पष्ट रूप से किसी न किसी क्षेत्र के दायरे में आती है, जिससे निपटने का विशेष क्षेत्राधिकार केवल एआईसीटीई के पास था - उनमें से कोई भी कानूनी रूप से उत्तरदाताओं के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में नहीं आता है - केवल प्रक्रिया उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध कार्रवाई उनके द्वारा देखी गई कमियों को एआईसीटीई के ध्यान में लाना और याचिकाकर्ता कॉलेज के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करना था - पहले

याचिकाकर्ता कॉलेज को संबद्धता न देने का प्रतिवादी का निर्णय पूरी तरह से अस्थिर है - छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004.

न्यायालय ने, रिट याचिका का निस्तारण करते हुये अभिनिर्धारित किया

1. तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान कुछ पहलुओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के तहत एआईसीटीई के नियंत्रण में हैं और कुछ अन्य पहलुओं में राज्य के नियामक प्राधिकरण और राज्य के कानून के तहत या उसके तहत स्थापित विश्वविद्यालय हैं।. [पैरा 32] [810-जी-एच]

2. वर्तमान मामले में, प्रत्येक आपत्ति जो प्रतिवादी के अनुसार पहले याचिकाकर्ता संस्थान से संबद्धता में गिरावट का आधार बनी, स्पष्ट रूप से एक या अन्य क्षेत्रों के दायरे में आती है, जिसे निपटाने का विशेष क्षेत्राधिकार केवल एआईसीटीई के पास है। उनमें से किसी को भी कानूनी तौर पर उत्तरदाताओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है। एआईसीटीई ने प्रथम याचिकाकर्ता कॉलेज के निरीक्षण पर बताया कि प्रथम याचिकाकर्ता कॉलेज एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है। उत्तरदाताओं ने कोई विशेष दावा नहीं किया कि एआईसीटीई की ऐसी रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है। तर्क के लिए यह मानते हुए कि, प्रतिवादीगणो की राय में, याचिकाकर्ता कॉलेज ने वास्तव में एआईसीटीई द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के तहत आवश्यक शर्तों में से किसी एक को भी पूरा नहीं किया है, उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध कार्रवाई का एकमात्र तरीका यह है कि उन्होंने जो कमियां देखीं, उन्हें एआईसीटीई के संज्ञान में लाया गया और याचिकाकर्ता कॉलेज के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई। [पैरा 42] [815-ए-डी]

3. पहले याचिकाकर्ता कॉलेज को संबद्धता न देने का प्रतिवादी का निर्णय पूरी तरह से अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना आवश्यक है। [पैरा 43] [815-ई]

टी.एन राज्य और अन्य बनाम अधियामन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य (1995) 4 एससीसी 104: 1995 (2 एससीआर 1075; जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम कमिश्नर और सचिव, सरकारी उच्च शिक्षा विभाग थिरूवनंतरपुरम, केरला स्टेट एवं एक अन्य (2000) 5 एससीसी 231 : 2000 (2) : 2000 (2) एस. सी. आर. 1234 और भारतीय शिक्षा सोसायटी बनाम एच. पी. राज्य (2011) 4 एससीसी 527: 2011 (2) एससीआर 461 - संदर्भित किये गये ।

मामला कानून संदर्भः

1995 (2) एससीआर 1075	संदर्भित किया गया	पैरा 33
2000 (2) एससीआर 1234	संदर्भित किया गया	पैरा 34
2011 (2) एससीआर 461	संदर्भित किया गया	पैरा 34

सिविल मूल क्षेत्राधिकार : रिट याचिका (सिविल) सं. 653 / 2014

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

टी. महिपाल, याचिकाकर्ता के लिए।

विक्रांत बैस, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय जे. चेलामेश्वर, न्यायाधिपति के द्वारा दिया गया था ।

1. जीडीआर एजुकेशनल सोसाइटी नामक एक सोसायटी कई कॉलेज चलाने का दावा करती है। रिट याचिका में दावा किया गया है कि 'पहला याचिकाकर्ता' ऐसे कॉलेजों में से एक है और दूसरा याचिकाकर्ता उक्त एजुकेशनल सोसाइटी का सचिव है।

2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (इसके बाद "एआईसीटीई" के रूप में संदर्भित) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (इसके बाद "1987 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत गठित एक निकाय है। एआईसीटीई की स्थापना "देश भर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास, नियोजित मात्रात्मक विकास के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देने और तकनीकी शिक्षा में मानदंडों और मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव प्रणाली और उससे जुड़े मामलों के लिए की गई थी।"

3. उक्त अधिनियम की धारा 10 (के) के तहत एआईसीटीई के कार्यों में से एक नए 'तकनीकी संस्थानों' को शुरू करने और तकनीकी एजेंसियों के परामर्श से नए पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए मंजूरी देना है।

4. "तकनीकी संस्थान" को धारा 2(एच) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> "2(एच) "तकनीकी संस्थान" का अर्थ है एक संस्थान, जो विश्वविद्यालय नहीं है जो तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रदान करता है और इसमें ऐसे अन्य संस्थान शामिल होंगे जिन्हें केंद्र सरकार, परिषद के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तकनीकी संस्थान घोषित करें।"

5. "तकनीकी शिक्षा" को धारा 2(एच) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> "2(जी) "तकनीकी शिक्षा" का अर्थ है इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर नियोजन, प्रबंधन, फार्मेसी और अनुप्रयुक्त कला और शिल्प में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम और ऐसे अन्य

कार्यक्रम या क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार परिषद के परामर्श से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकती है।"

6. एआईसीटीई ने जीडीआर एजुकेशनल नामक सोसायटी के पक्ष में दिनांक 07.04.2013 की अपनी कार्यवाही द्वारा अनुमोदन शैक्षणिक वर्ष 2013-2014 के लिए प्रथम याचिकाकर्ता कॉलेज में इंजीनियरिंग के पांच अलग-अलग पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिये किया, जिसका उल्लेख उक्त कार्यवाही में किया गया है, जिसे उक्त सोसाइटी द्वारा 300 छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता के साथ स्थापित किया गया है।

7. दिनांक 07.4.2013 को अनुमोदन प्रदान करने वाले संचार में यह कहा गया है:

"संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने और प्रवेश के लिए राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुमोदन इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो साल के लिए वैध है। यदि संस्थान उपरोक्त कारणों से शैक्षणिक सत्र 2013-14 में शुरू करने में असमर्थ है, संस्थान को अनुमोदित प्रवेश 2013-14 को जारी रखने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र में एआईसीटीई वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

सोसाइटी/ट्रस्ट/संस्था को विश्वविद्यालय/प्रवेश प्राधिकरण आदि के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय से आवश्यक संबद्धता/अनुमति प्राप्त करनी होगी।"

8. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004

(2004 का 25) (इसके बाद "2004 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा की गई है। अधिनियम की प्रस्तावना अधिनियम के उद्देश्य को इंगित करती है:

अनुसंधान, स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा स्तर पर वास्तुकला और फार्मेसी सहित इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों में व्यवस्थित, कुशल और गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों को प्रदान करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिए एक अधिनियम।

9. विश्वविद्यालय का गठन अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया है जो घोषणा करता है कि ऐसे विश्वविद्यालय के पास शाश्वत उत्तराधिकार, सामान्य मुहर होगी और वह अपने नाम पर मुकदमा करने और मुकदमा चलाने में सक्षम है। विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को धारा 4 के तहत निर्दिष्ट किया गया है। धारा 4(13) में कहा गया है कि उद्देश्यों में से एक है "विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नहीं किए गए कॉलेजों या पॉलिटेक्निक को अपने विशेषाधिकारों में प्रवेश देना, इनमें से सभी या किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेना और अपने अधिकार में लेना" कॉलेजों या पॉलिटेक्निक का प्रबंधन क़ानून या अध्यादेश द्वारा निर्धारित तरीके और शर्तों के तहत किया जाएगा।

10. धारा 6 घोषित करती है कि विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य तक विस्तारित होगा। धारा 6(2) में कहा गया है कि "तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी कॉलेज या पॉलिटेक्निक या तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान और उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित है। ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध माना जाएगा और उसे इसके

विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और क़ानून या विनियम द्वारा निर्धारित तरीके से अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड के साथ संबद्ध होना बंद कर दिया जाएगा। जाहिर है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के भीतर स्थित अधिनियम की धारा 2(26) के तहत परिभाषित तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली कोई भी संस्था विश्वविद्यालय से संबद्ध मानी जाएगी और उसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

11. 2004 अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है कि कार्यकारी परिषद, अधिनियम की धारा 22 के तहत गठित एक निकाय, धारा 23 के तहत निर्दिष्ट विभिन्न शक्तियों और कर्तव्यों के साथ विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा। उनमें से एक है 'विद्या परिषद की सिफारिश पर और इस अधिनियम और क़ानून के प्रावधानों के अधीन कॉलेजों या पॉलिटेक्निक को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश देना और किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेना और कॉलेज का प्रबंधन अपने हाथ में लेना या पॉलिटेक्निक विधि और अध्यादेश द्वारा निर्धारित तरीके और शर्तों के तहत।

12. एआईसीटीई द्वारा अनुमोदन के आदेश (07.04.2013) द्वारा निर्धारित संबंधित विश्वविद्यालय की संबद्धता हासिल करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले याचिकाकर्ता कॉलेज को संबद्धता प्रदान करने के लिए उक्त विश्वविद्यालय में एक आवेदन किया गया था जिसे कि दिनांक 13.5.2013. को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया।

13. इस तरह के निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं द्वारा बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (सी) संख्या 847 / 2013 दायर की गई। उक्त रिट याचिका का निपटारा दिनांक 28.6.2013 के एक आदेश द्वारा किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देने के

बाद उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। आदेश का मुख्य भाग इस प्रकार है:

> "प्रतिवादी/विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री श्रीवास्तव का कहना है कि यदि कोई अभ्यावेदन दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और यदि अभ्यावेदन दिया जाता है, तो उस पर यथाशीघ्र कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता चाहे तो याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से भी सुना जा सकता है।
>
> पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई उपरोक्त दलीलों के मद्देनजर, यदि याचिकाकर्ता आज से एक सप्ताह की अवधि के साथ एक अभ्यावेदन देता है, जैसा कि दोनो पक्षकारो द्वारा स्वीकार और सहमति दी गई है, याचिकाकर्ता प्रतिवादी/विश्वविद्यालय के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हो सकता है। प्रतिवादी/विश्वविद्यालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार, अपनी योग्यता और परिप्रेक्ष्य के आधार पर अभ्यावेदन पर विचार करे और निर्णय ले।"

14. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 01.7.2013 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 17.7.2013 को याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र भेजा गया था, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए 300 छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता के लिए निर्दिष्ट विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्रदान करने की बात कही गई थी, जिसमें यह शर्त भी शामिल थी कि ऐसी संबद्धता विश्वविद्यालय

की कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के लिए अधीन होगी।" यह विश्वविद्यालय का विशिष्ट मामला है कि ऐसा निर्णय कुलपति द्वारा अधिनियम 2004 की धारा 14(4) सपठित धारा 23(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया था। ऐसे संबद्धता आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने लगभग 200 से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया।

15. 28.12.2013 को याचिकाकर्ताओं ने एक बार फिर शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए संबद्धता के लिए आवेदन किया।

16. दिनांक 03.3.2014 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की 31 वीं बैठक आयोजित की गई जिसमें कुलपति द्वारा 17.7.2013 को दी गई अनंतिम संबद्धता पर विचार किया गया। कार्यकारी परिषद ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दिनांक 10.8.2013 की पिछली बैठक में कार्यकारी परिषद ने मामले को राय के लिए महाधिवक्ता के पास भेजा था और जैसा कि विभिन्न कारणों से राय नहीं आने पर कार्यकारी परिषद ने इस प्रकार निर्णय लिया:

> "पत्र संख्या सीएसवीटीयू/एफिल/2013-2014/2013/2963 दिनांक 17.7.2013 के तहत दी गई सशर्त संबद्धता वापस ली जानी चाहिए।
>
> प्रवेशित छात्रों को कानूनी, कानूनी और तर्कसंगत तरीके से अन्य कॉलेजों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
>
> कार्यकारी परिषद ने सर्वसम्मति से मामले में अंतिम निर्णय के लिए मामले को माननीय कुलाधिपति के समक्ष रखने का निर्णय लिया।"

17. दिनांक 29/30.4.2014 को कार्यकारी परिषद की 33 वीं बैठक में प्रथम याचिकाकर्ता कॉलेज को दी गई संबद्धता के अनुसमर्थन का प्रश्न एक बार फिर विचार के लिए आया। एक बार फिर यह निर्णय लिया गया:

"उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बहुमत के निर्णय के आधार पर संबद्धता के अनुसमर्थन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। प्रवेशित छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, छात्रों को अन्य कॉलेज जहां सीटें खाली हैं स्थानांतरित करने के लिए निदेशक-तकनीकी शिक्षा और सचिव-तकनीकी शिक्षा को एक पत्र लिखा जाएगा।"

उक्त निर्णय याचिकाकर्ताओं को 01.5.2014 को सूचित किया गया था।

18. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 423 / 2014 दायर की। दिनांक 12.5.2014 को, इस न्यायालय ने उक्त रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। दिनांक 19.5.2014 को उक्त रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया। उक्त आदेश का मुख्य भाग इस प्रकार है:

> "जो भी हो, इस बात पर सहमति है कि जहां तक शैक्षणिक वर्ष 2013-2014 का सवाल है, कार्यकारी परिषद इस मामले को फिर से देखेगी, हम याचिकाकर्ताओं को कार्यकारी परिषद के समक्ष अपना मामला पेश करने और चार सप्ताह के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करने का उचित अवसर देने के बाद नए सिरे से निर्णय लेने के लिए सीएएसआर को कार्यकारी परिषद को वापस भेजते हैं।
>
> जहां तक शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 का सवाल है, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता - कॉलेज के आवेदन के साथ-साथ संबद्धता के लिए अन्य कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पहले से ही विचाराधीन हैं।
>
> इसके मद्देनजर, जहां तक शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 का सवाल है, कार्यकारी परिषद उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद 15 जुलाई 2014 तक उपरोक्त तरीके से निर्णय लेगी।"

19. आदेश से यह देखा जा सकता है कि यह इस आशय का एक सहमत आदेश है कि कार्यकारी परिषद एक बार फिर पहले याचिकाकर्ता कॉलेज को संबद्धता देने के प्रश्न की जांच करेगी क्योंकि यह शैक्षणिक वर्ष 2013-2014 से संबंधित है। शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 के लिए संबद्धता के प्रश्न पर आते हुए, इस न्यायालय ने कार्यकारी परिषद को 15.7.2014 तक निर्णय लेने का निर्देश दिया।

20. उक्त आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 23.5.2014 को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थना की गई कि शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 के लिए संबद्धता प्रदान करने के मुद्दे पर निर्णय लिया जाए।

21. 04.6.2014 को, एआईसीटीई ने शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 के लिए 540 छात्रों के कुल प्रवेश के साथ सात अलग-अलग पाठ्यक्रम (पांच स्नातक और दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम) संचालित करने की मंजूरी दी, जिसका विवरण वर्तमान उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है। .

22. दिनांक 11.6.2014 को कार्यकारी परिषद द्वारा अपनी 36वीं बैठक में मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अंततः दिनांक 19.6.2014 को एक संचार द्वारा, विश्वविद्यालय ने दूसरे याचिकाकर्ता को सूचित किया कि विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ने दिांक 11.6.2014 को आयोजित अपनी मीटिंग में बहुमत से प्रथम याचिकाकर्ता को 17.7.2013 को दी गई अनंतिम संबद्धता को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। उक्त संचार इस प्रकार है:

> "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 19.5.2014 के आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक 11.6.2014 को हुई, जिसमें रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई को 17.7.2013 को दी गई अनंतिम संबद्धता को अस्वीकार करने का

बहुमत से निर्णय लिया गया। इसलिए, रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई की स्थिति शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए "असंबद्ध" है। कार्यकारी परिषद के कार्यवृत्त की एक प्रति, रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई को दी गई अनंतिम संबद्धता को अस्वीकार करने के कारणों का हवाला देते हुए , आपकी जानकारी के लिए संलग्न है।"

23. दिनांक 01.7.2014 को एक अन्य संचार द्वारा, जो याचिकाकर्ता को 09.7.2014 को प्राप्त हुआ, विश्वविद्यालय ने दूसरे याचिकाकर्ता को इस प्रकार सूचित किया:

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 19.05.2014 के आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक 11.06.2014 को हुई और 17.07.2013 को रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई को दी गई अनंतिम संबद्धता को अस्वीकार करने के लिए बहुमत से निर्णय लिया गया। अब, रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई की स्थिति शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए "असंबद्ध" हो गई है।

उपरोक्त आपको पत्र संख्या 1109 दिनांक 19 जून 2014 के माध्यम से सूचित किया गया है। 2014 - 15 के लिए आवेदन कॉलेज से संबद्धता का विस्तार है। 11.06.2014 को कार्यकारी परिषद में लिया गया निर्णय कॉलेज को असंबद्ध करने का था, इसलिए 14-15 के विस्तार का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि कॉलेज पहले ही असंबद्ध हो चुका है।"

(जोर दिया गया)

24. इसलिए रिट याचिका।

25. याचिकाकर्ताओं ने आक्षेपित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं ने उन विचारों के आधार पर संबद्धता नहीं देने का फैसला किया जो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और ऐसे क्षेत्र जिनका उपयोग करना उनकी कानूनी क्षमता के भीतर नहीं है।

26. दूसरी ओर, प्रतिवादी ने इस आधार पर रिट याचिका का विरोध किया कि पहला याचिकाकर्ता कॉलेज एआईसीटीई मानदंडों और विश्वविद्यालय के क़ानून 19 के तहत विचार की गई विभिन्न शर्तों को पूरा नहीं करता है। यह पहले प्रतिवादी विश्वविद्यालय का मामला है कि दिनांक 26.4.2013 को एक संचार द्वारा दूसरे याचिकाकर्ता को विभिन्न कमियों के बारे में सूचित किया गया था। संचार का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा आपके संस्थान के पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता के लिए गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, संस्थान को निम्नलिखित कमियों से ग्रस्त पाया गया है:

1. तदर्थ आधार पर नियुक्त शिक्षण स्टाफ (सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर) का चयन सीएसवीटीयू के नियम 19 और एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। मानदंडों के अनुसार कैडर अनुपात बनाए रखने के लिए चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए।

2. प्राचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम-19 के अनुसार की जाये।

3. छात्र-शिक्षक अनुपात में नियमानुसार सुधार किया जाये।

4. सत्र 2013-14 के लिए प्रथम वर्ष की कक्षाएं संचालित करने के लिए सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. लाइब्रेरी में जर्नल्स नियमानुसार तैयार किये जाएं। डिजिटल लाइब्रेरी में ई-जौमल्स और सामान्य दक्षता से संबंधित अन्य पुस्तकें खरीदी जाएं।

6. परिग्रहण रजिस्टर में पुस्तकों की उचित प्रविष्टि बनाए रखने के लिए लाइब्रेरियन के उचित समय की आवश्यकता है।

7. संरचना, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और कार्यशाला में सुरक्षा उपाय स्थापित किए जाएं।

8. कम्प्यूटर लैब में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए।

9. परीक्षा नियंत्रण कक्ष में अलग से स्ट्रांग रूम की व्यवस्था की जाए।

10. फ्लो चार्ट, प्रयोगशाला के प्रयोगशाला मैनुअल और प्रयोगशाला का लेआउट प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

11. परिसर के क्लास रूम और प्रयोगशाला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोशनी की जांच के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाएगा।

12. खेल के मैदान की सुविधा में सुधार किया जाए।

13. लाइसेंस सॉफ्टवेयर एवं संचार कौशल को नियमानुसार विकसित किया जाए।

14. विश्वविद्यालय योजना के अनुसार प्रयोगों की सूची प्रोफेसर एल/सी और लैब अटेंडेंट के हस्ताक्षर के साथ नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

15. आम तौर पर सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों में सुधार किया जाए और नगरपालिका उप भवन के अनुसार सीमाओं की निर्धारित दूरी बनाए रखी जाए।

16. एंटी रैगिंग सेल, महिला सेल एवं काउंसलिंग सेल का गठन कर परिसर में प्रदर्शित किया जाये।

17. पार्किंग, कैंटीन और अन्य सुविधाओं के सीमांकन में सुधार किया जाए।

18. कार्यशाला का निहाई सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जाए।

19. रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के साथ शॉवर सहित गैस पाइप लाइन उपलब्ध कराई जाए।

20. प्रयोगशालाओं में छात्रों के लिए स्टूल जैसी बैठने की व्यवस्था की जाए।

21. सहायक प्रयोगशाला कर्मचारियों को मानदंडों के अनुसार नियुक्त किया जाए और पुस्तकालय के कार्य समय को प्रदर्शित किया जाए।

कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर केंद्र, ड्राइंग हॉल, वर्कशॉप, सेमिनार हॉल को अनुमोदित भवन योजनाओं पर फर्श के अनुसार निर्दिष्ट करना, (मूल अनुमोदित भवन योजनाओं की फोटोकॉपी पर, आकार में किसी भी कटौती के बिना) विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

खेल शुल्क यदि कोई हो तो जमा करें।

प्रक्रिया शुल्क रूपये 30,000/- जमा कराये जाये।

30, उपरोक्त कमियों को दूर करने के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में ट्रस्ट/सोसाइटी/प्रिंसिपल द्वारा 50/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक हलफनामा विश्वविद्यालय को 29.4.2013 तक जमा किया जाना है।

27. उक्त संचार के जवाब में, जीडीआर एजुकेशनल सोसाइटी ने दिनांक 29.4.2013 को एक उत्तर भेजा, जिसका सार यह है कि विश्वविद्यालय के दिनांक 26.4.2013 के संचार में बताई गई सभी कथित कमियाँ या तो बिना किसी तथ्यात्मक आधार के हैं या वास्तव में इसका अनुपालन किया गया था।

28. याचिकाकर्ताओं और प्रथम प्रतिवादी विश्वविद्यालय के बीच तीव्र मतभेद के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका के लंबित होने पर, हमने दिनांक 08.8.2014 के

आदेश द्वारा एआईसीटीई को "याचिकाकर्ता के कॉलेज का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहना उचित समझा कि क्या याचिकाकर्ता ने कानून की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है"। उक्त निर्देश के आलोक में एआईसीटीई ने निरीक्षण कर रिपोर्ट दी. जिसका सार यह है कि याचिकाकर्ता कॉलेज ने कानून की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

29. प्रतिवादी विश्वविद्यालय और राज्य ने बहुत दृढ़ता से तर्क दिया कि एआईसीटीई द्वारा व्यक्त की गई राय के बावजूद, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान को संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के मानदंडों और मानकों के आलोक में अभी भी कुछ कमियों की जांच की जा रही है।

30. यह तर्क दिया गया है कि विश्वविद्यालय, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के अनुसार अस्तित्व में लाया गया एक वैधानिक निकाय है, 2004 के अधिनियम द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य है और इसे रोका नहीं जा सकता है। इस बात से संतुष्ट होने के अपने दायित्व का निर्वहन करने से कि याचिकाकर्ता संस्थान अपनी वैधानिक शक्तियों के निर्वहन में इसके द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के संदर्भ में संबद्धता के लिए अर्हता प्राप्त करता है और इस तथ्य के बावजूद कि विश्वविद्यालय पहले याचिकाकर्ता कॉलेज की पात्रता से संतुष्ट नहीं है,

31. तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की स्थापना और संचालन को विनियमित करने के लिए राज्यों और राज्यों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों का अधिकार इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में एक लंबी बहस का विषय रहा है।

32. तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान कुछ पहलुओं में 1987 अधिनियम के तहत एआईसीटीई के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं और कुछ अन्य

पहलुओं में राज्य के नियामक प्राधिकरण और राज्य के कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित विश्वविद्यालय।

33. इस न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य एवं एक अन्य बनाम अधियमान एजुकेशनल एंड रिसर्च संस्थान एवं अन्य,शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान और अन्य, (1995) 4 एससीसी 104, सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची III की विभिन्न प्रविष्टियों की संवैधानिक योजना और 1987 अधिनियम और मद्रास विश्वविद्यालय अधिनियम की भाषा पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि 1987 अधिनियम सूची 1 की प्रविष्टि 66 के संदर्भ में है। "उच्च शिक्षा, या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थानों में मानकों का निर्धारण" का क्षेत्र संसद के लिए विशेष है और उक्त क्षेत्र के संदर्भ में संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून सर्वोपरि है। 1987 का अधिनियम एआईसीटीई को अधिकार देता है, जो उक्त अधिनियम के तहत गठित एक निकाय है, "तकनीकी संस्थानों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए मानदंडों और तंत्रों को शामिल करते हुए उपयुक्त प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने के लिए" और "पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, स्टाफ पैटर्न, स्टाफ योग्यता के लिए मानदंड और मानक" निर्धारित करता है। मूल्यांकन और परीक्षा, ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क वसूलने के लिए मानदंड और दिशानिर्देश तैयार करना, नए तकनीकी संस्थान शुरू करने या नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी देना। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, "इस प्रकार, जहां तक इन मामलों का संबंध है, मामले में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए, यह विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय अधिनियम और इसके तहत बनाई गई परिषद है, जिसका अधिकार क्षेत्र होगा। नतीजतन, इस न्यायालय ने कहा कि "केंद्रीय अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पर ओवरलैप होने वाले किसी भी अन्य राज्य कानून के प्रावधानों को "अप्रवर्तनीय माना जाएगा..."। यह तर्क कि

राज्य विधायिका उन क्षेत्रों में भी उच्च मानकों के मानदंड निर्धारित कर सकती है जो एआईसीटीई के अंतर्गत आते हैं, इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।

34. प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार नीतिगत तौर पर राज्य सरकार की इस धारणा के मद्देनजर कि नए कॉलेज खोलना हित में नहीं होगा, एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए मंजूरी/अनुमति देने से इनकार कर सकती है? जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम आयुक्त एवं सचिव, सरकारी उच्च शिक्षा विभाग, थिरूवनंतरपुरम, केरला राज्य एवं अन्य (2000) 5 एससीसी 231, के मामले में छात्रों और रोजगार का मामला इस न्यायालय में विचाराधीन था। इस न्यायालय ने माना कि राज्य के पास एआईसीटीई अधिनियम के बाहर कोई नीति नहीं हो सकती है और वास्तव में अगर उसके पास कोई नीति थी, तो उसे उसे एआईसीटीई के समक्ष रखना चाहिए था और वह भी पहले बाद वाले ने अनुमति दे दी।

35. किसी विश्वविद्यालय के संबद्धता देने या अस्वीकार करने के अधिकार का प्रश्न भारतीय एजुकेशन सोसाइटी बनाम एच.पी. राज्य, (2011) 4 एससीसी 527 मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। यह मामला राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (इसके बाद इसे "एनसीटीई अधिनियम" कहा जाएगा)के तहत उत्पन्न हुआ था, जिसकी योजना भी एआईसीटीई अधिनियम के समान है। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:-

"19.... दूसरी ओर, "मान्यता" संस्थान को शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने का लाइसेंस है। एनसीटीई अधिनियम से पहले, रखरखाव की योजना बनाने और समन्वय करने के लिए एक शीर्ष निकाय की अनुपस्थिति में शिक्षक शिक्षा प्रणाली, सरकार और विश्वविद्यालयों/बोर्डों में मानदंड और मानक। एनसीटीई

अधिनियम के अधिनियमन के बाद, एनसीटीई के कार्य "पहचानने वाले प्राधिकारी और जांच निकाय" के रूप में संबद्ध प्राधिकारी के रूप में क्रिस्टलीकृत हो गए, हालांकि उनके कार्य कई मुद्दों पर ओवरलैप हो गए। एनसीटीई अधिनियम गतिविधि के क्षेत्र में जांच निकायों की भूमिका को मान्यता देता है।

36. इस न्यायालय ने एनसीटीई अधिनियम की धारा 16 के दायरे की जांच की, जो किसी भी "परीक्षा निकाय (एक विश्वविद्यालय) द्वारा शिक्षण के व्यवसाय के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम संचालित करने वाले किसी भी संस्थान को संबद्धता देने पर रोक लगाता है, जब तक कि ऐसी संस्था ने एनसीटीई अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त नहीं कर ली हो। हालाँकि, इस अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा निकाय (विश्वविद्यालय) के पास मान्यता प्रदान करते समय एनसीटीई द्वारा विचार किए जाने वाले किसी भी कारक के संदर्भ में संबद्धता से इनकार करने का विवेकाधिकार नहीं है, यह माना गया कि परीक्षा निकाय के पास मांग करने का अधिकार है उम्मीदवारों की पात्रता और छात्र के प्रवेश के तरीके आदि के संबंध में एक सीमित क्षेत्र में इसके मानदंडों का अनुपालन।

37. यह आगे कहा गया -

> "22.... उदाहरण के लिए, एनसीटीई को शिक्षक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए किसी संस्थान के उचित कामकाज के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, योग्य कर्मचारियों और प्रयोगशाला के बारे में खुद को संतुष्ट करना आवश्यक है। इसलिए, जब मान्यता एनसीटीई द्वारा प्रदान की जाती है, इसका तात्पर्य यह है कि एनसीटीई ने उन पहलुओं पर खुद को संतुष्ट किया है। नतीजतन, परीक्षा निकाय इस आधार पर संबद्धता से

इनकार नहीं कर सकता है कि संस्थान के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, आवास, पुस्तकालय, योग्य-कर्मचारी या प्रयोगशाला नहीं है, जो कि संस्थान के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परीक्षा निकाय को पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की पात्रता या छात्रों के प्रवेश के तरीके या राज्य सरकार और/या जांच निकाय के क्षेत्र में आने वाले अन्य क्षेत्रों के संबंध में अपनी आवश्यकताओं के अनुपालन की आवश्यकता नहीं हो सकती है।"

पैरा 24 में, इस न्यायालय ने उन क्षेत्रों का संकेत दिया जहां "परीक्षा निकाय" मानदंड निर्धारित कर सकता है, जिन मानदंडों का अनुपालन न करने पर परीक्षण निकाय को संबद्धता रद्द करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

"24 इसलिए परीक्षा निकाय एनसीटीई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्रों की पात्रता के संबंध में अपनी आवश्यकताओं को लागू कर सकता है। राज्य सरकार और परीक्षा निकाय प्रवेश के तरीके को भी विनियमित कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, यदि प्रवेश में कोई अनियमितता है या परीक्षा निकाय द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों का उल्लंघन है या परीक्षा निकाय द्वारा विनियमित और शासित किसी भी मामले के संदर्भ में कोई अनियमितता है, तो परीक्षा निकाय इस तथ्य के बावजूद संबद्धता रद्द कर सकता है कि संस्थान को एनसीटीई की मान्यता प्राप्त है। धारा 14 की उप-धारा (6) की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि संबद्धता की प्रक्रिया, मान्यता के परिणामस्वरूप एक स्वचालित रबर-स्टैम्पिंग हो, बिना परीक्षा निकाय

में किसी भी प्रकार के विवेक के यह जांचने के लिए कि क्या संस्थान संबद्धता के योग्य है या नहीं, मान्यता से स्वतंत्र।"

38. इसी प्रकार, 1987 अधिनियम की योजना के तहत, जैसा कि इस न्यायालय ने अधियामन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान मामले (सुप्रा) के पैरा 30 में देखा, केंद्रीय अधिनियम की धारा 10 के तहत, परिषद को निर्धारित करने की शक्ति सौंपी गई है पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, स्टाफ पैटर्न, स्टाफ योग्यता, मूल्यांकन और परीक्षा के लिए मानदंड और मानक, ट्यूशन फीस चार्ज करने के लिए मानदंड और दिशानिर्देश तय करना आदि और आगे कहा गया कि इन मामलों में विश्वविद्यालय के पास कोई अधिकार नहीं होगा।

39. उत्तरदाताओं ने यह दावा करने के लिए भरतिया एजुकेशन सोसाइटी (उपरोक्त) (पहले निकाला गया) में निर्णय के पैरा 24 के अंतिम वाक्य पर बहुत अधिक भरोसा किया कि उत्तरदाताओं के पास अभी भी संबद्धता देने या अस्वीकार करने के लिए आवश्यक अधिकार हैं।

40. हमारी राय है कि उत्तरदाता उस वाक्य को संदर्भ से बाहर पढ़ रहे हैं। निर्णय उन क्षेत्रों के बारे में बहुत स्पष्ट था जो विशेष रूप से एनसीटीई के अधिकार क्षेत्र में हैं, उन क्षेत्रों में इसके द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन के संबंध में संतुष्टि अंतिम है और जिन क्षेत्रों में "परीक्षा निकाय को अपने स्वयं के मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है" (जैसे कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्रों की पात्रता और प्रवेश का तरीका)।

41. हम ऊपर उल्लिखित कानून के सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हैं। विभिन्न आपत्तियां, जो (प्रतिवादी के अनुसार) पहले याचिकाकर्ता

संस्थान से संबद्धता में गिरावट का आधार बनीं, दिनांक 26.4.2013 के संचार में शामिल हैं, जिसे पैरा 26 (उपरोक्त) में विस्तार से निकाला गया था।

42. उक्त संचार में उल्लिखित सभी आपत्तियों की जांच से पता चलेगा कि उनमें से प्रत्येक आपत्ति निश्चित रूप से किसी न किसी क्षेत्र के दायरे में आती है, जिससे निपटने का विशेष क्षेत्राधिकार केवल एआईसीटीई के पास है। उनमें से कोई भी हमारे सामने यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि वे कानूनी तौर पर उत्तरदाताओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले हैं। एआईसीटीई ने प्रथम याचिकाकर्ता कॉलेज के निरीक्षण पर बताया कि प्रथम याचिकाकर्ता कॉलेज एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है। उत्तरदाताओं ने कोई विशेष दावा नहीं किया कि एआईसीटीई की ऐसी रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है। तर्क के लिए यह मानते हुए कि, उत्तरदाताओं की राय में, याचिकाकर्ता कॉलेज ने वास्तव में एआईसीटीई द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के तहत आवश्यक शर्तों में से किसी एक को भी पूरा नहीं किया है, उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध कार्रवाई का एकमात्र तरीका यह है कि उन्होंने जो कमियां देखीं, उन्हें एआईसीटीई के संज्ञान में लाया गया और याचिकाकर्ता कॉलेज के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई।

43. इसलिए, हमारी राय है कि पहले याचिकाकर्ता कॉलेज को संबद्धता न देने का प्रतिवादी का निर्णय पूरी तरह से अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना आवश्यक है। तदनुसार उसे अलग रखा जाता है। चूँकि प्रतिवादी ने पहले याचिकाकर्ता कॉलेज की संबद्धता को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया कि याचिकाकर्ता कॉलेज प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरी तरह से अयोग्य छात्रों को प्रवेश दे रहा है या कि प्रतिवादी द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया का अनुपालन याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं किया जा रहा है या किसी अन्य आधार पर कि याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है,

जिसे लागू करने के लिए विश्वविद्यालय कानूनी रूप से सक्षम है, हमारे पास प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता कॉलेज को संबद्धता प्रदान करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस न्यायालय के फैसले का ऑपरेटिव भाग 01.9.2014 को पहले ही सुनाया जा चुका है। इसलिए हम वही बात नहीं दोहरा रहे हैं.

उपसंहार

44. हमें यह कहते हुए खेद है कि पूरी रिट याचिका में, हमें कोई जानकारी नहीं मिली कि क्या जीडीआर एजुकेशनल सोसाइटी किसी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त/पंजीकृत निकाय है। यदि इसे मान्यता प्राप्त है, तो वह प्रासंगिक अधिनियम क्या है जिसके तहत इसे पंजीकृत किया गया है? तथाकथित प्रथम याचिकाकर्ता का कानून की नजर में कोई अस्तित्व नहीं है और वह मुकदमा करने या मुकदमा दायर करने में सक्षम नहीं है, हालांकि दूसरा याचिकाकर्ता एक प्राकृतिक व्यक्ति है जो मुकदमा करने और मुकदमा दायर करने में सक्षम है। याचिका में किया गया यह साहसिक दावा कि विवादित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन है, दोनों याचिकाकर्ताओं के लिए एक अत्यधिक संदिग्ध दावा है। अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों की गारंटी केवल नागरिकों को दी गई है। तथाकथित प्रथम याचिकाकर्ता नागरिक नहीं हो सकता, व्यक्ति भी नहीं। अनुच्छेद 19 के तहत दूसरे याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया अधिकार कोई पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है या नहीं, यह ज्ञात नहीं है। किसी भी पक्ष की ओर से कोई तर्क आगे नहीं बढ़ाया गया। आधुनिक वकील ऐसे सवालों से खुद को परेशान नहीं करते! ये प्रश्न पूछने वाला कोई भी न्यायाधीश शायद "सार्वजनिक हित के प्रति संवेदनशील नहीं" माना जाता है! हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा की गई पूरी कवायद निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए, हमने इस मुद्दे की जांच की है।

45. रिट याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

विभूति भूषण बोस

रिट याचिका निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।